





आदेश:

अधिसूचना, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उच्च प्रवेश सम्बन्धित।

संख्या- प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धित/2021/3537

दिनांक: 09/08/2021

आवृत्त संख्या:

अधिसूचना भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय उच्च शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न स्तरीय उच्च-मैट्रिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रवेश सम्बन्धित में सम्बन्धित/सम्बन्धित शिक्षण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बन्धित समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बन्धित विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रणाली वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार काली हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बन्धित/सम्बन्धित शिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसूचित में कितने संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रवेश सम्बन्धित द्वारा सत्र 2021-22 हेतु स्वीकृत काली के तालिका प्रकाशित एवं उन्हीं अधिसूचना संख्या हेतु सम्बन्धित शिक्षण प्रदान की जायेगी।

संस्था का कोड एवं नाम : 2050-JMB INSTITUTE OF LIFE SCIENCES AND HIGHER EDUCATION, 102, 103 & 104 VILL-DEVIPURA, MADHOTANDA ROAD, PILIBHIT-262001			
क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धित हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च प्रवेश अधिसूचना शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 301,50.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाकन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले आस-सुदेश प्रकटी होगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जमा आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की कार्यवाही करें जम्मा होगी।
- ✓ संस्था को (उच्च प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के निकलने की तिथि में उच्च प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट आस-सुदेश के अनुपालन निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।

T  
प्राचार्य

- ✓ संस्था को एडमिशन/टीचिंग/पीपीटी/आरटी से आकर्षित या हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया मान्यता होगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सभी विधि/विधायी/प्रतिनिधायी/साक्षात्कारो/निर्देशों को निवेदन, प्रतिनिध विधि, प्रमाण, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रमाण तथा प्रतिनिध विधि परिषद, जेआरए द्वारा जारी किये गये विधायी, विधायी, आदेश, निर्देशों को पालन करने के विधि संस्था होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संलग्न यदि वे.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने से आगमन नहीं है तो इस संबंध में समस्त उपाययोजनाएं संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्रतिनिध विधि परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिनिध विधि निदेशालय एवं प्रतिनिध विधि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट कर दाखल किया जाता है तथा दाखल कर के संबंध में यह मान्यता प्रदान किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी संबंधी आवेदन निर्गत किया जाता है जो संलग्न प्रमाणों संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु सहायित्व प्रदान करने के लिए एडमिशन/आरटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद समन्वयन को संलग्न करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (साक्षात्कार) के संबंध में जलदा संस्था पर पर भीसे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत न्यूनतम मान्यता विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वैधानिक पर संस्था की समस्त सुगमता जैसे संबंध की वैधानिक पूर्ण पूर्ण, छात्र, साक्ष-संख्या, प्रमाण, प्रमाण किया जाने वाला सुगम, साक्षात्कार सुगम आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-प्रमाणित हेतु संयुक्त साक्षात्कार प्रदान करने के साथ प्रेषित प्रेषित के संस्था में प्रस्ताव आंतरिक आवेदन सुनिश्चित जारी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में उपाययोजना/संयोजित प्रदान करने वाले हेतु निर्देश विधियों के साथ उपलब्ध कराने एवं प्रतिनिध, भूमि-संस्था, प्रेषित, प्रमाणित प्रेषित का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रदान के संयोजित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रेषित का प्रेषित विधियों अन्य कार्य के लिए कर रही है तो आवश्यक संस्था की सन्तुष्टता प्रदान किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक निर्देशन प्रेषित यदि संस्था में भूमि, प्रमाण, प्रमाणित, प्रमाणित, एवं अन्य साक्ष-संख्या एडमिशन/टीचिंग/पीपीटी/आरटी/परिषद के मान्यतापूर्ण उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सन्तुष्टता प्रदान कर दी जाएगी।
- ✓ सन्तुष्टता नहीं का अनुमोदन न किसी अन्य प्रकार नहीं का उपलब्ध किये जाने की विधि में विधानपूर्ण अनुमानात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(पुनील कुमार शोमसरी)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

एडमिशन-विधायी/परिषद सन्तुष्टता/2021/2538-4609

प्रतिनिधि-

पता: Vill-Devipura, Madhotanda Road, Pilibhit-263021  
 JMG INSTITUTE OF LIFE SCIENCES AND HIGHER EDUCATION, 102, 103 & 104  
 VILL-DEVIPURA, MADHOTANDA ROAD, PILIBHIT-263021

(पुनील कुमार शोमसरी)

T. सचिव

**संकेतः**

**राज्य.राज्यिक शिक्षा परिषद.**

**प्रार.प्रौ.उ.सहायक।**

क्रमांक:- राजिप/परीषद सम्बद्धता/2022/9673

संश्लेषण दिनांक:- 03/10/2022

**अवगतताय जायः**

राज्य प्रारम्भिक माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अकादमिक बोर्ड इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा 01/10/2022-23 हेतु विद्यार्थीय प्रारम्भिक माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किये जाने के अर्थमें प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2010 संश्लेषण में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से प्रत्यक्ष संस्थाओं को सम्बद्धता (विस्तार) प्रदान करने का प्रस्ताव सुद्धि सौचित्य बना कर का विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में जिन नये विद्या के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2010 संश्लेषण द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विस्तारित करी के अर्थमें प्रत्यक्ष एवं उभरे अधिक प्रारम्भिक प्रदान हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की गयी है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2050-JMB INSTITUTE OF LIFE SCIENCES AND HIGHER EDUCATION			
क्रमांक	संस्था का नाम	दो.अनुमोदित/वी.सी.ए.पी. परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परीषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एम.एड/बी.एड/डी.एड/पी.टी.टी.आर/टी.टी.टी.आर द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमन 1992, विनियमन 2010, सेक्टर विनियमन 2014 तथा समय-समय पर निहित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 30150.00/- प्रतिवर्ष (दो वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 45000.00/- प्रतिवर्ष) शुल्क ही प्रत्यक्ष रूप से जमा किया जाएगा। जलरोक के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अलावा नैतिक-व्यवहार पर ध्यान दिए जाने वाले शासनादेशों का भी पालन करेगी। और अनुमोदित शासनादेशों का भी पालन करेगी।
- ✓ संस्था में संतुलित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित करी की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

